मैनुअल–15

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे

Manual-15

The particulars of the facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of library or reading room, if maintained for public use;

15.1 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :–

(i) किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में लोक निर्माण विभाग के किसी भी क्षेत्रीय/वृत्तीय/खण्डीय कार्यालय से सम्बन्धित ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो उस व्यक्ति या संगठन से सम्बन्धित हो, यद्यपि इस उद्देश्य के लिये किसी वाचनालय या पुस्तकालय की अलग से व्यवस्था नहीं की गयी हैं, तथापि तकनीकी/वित्तीय विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें/मैनुअल प्रत्येक कार्यालय में स्थापित पुस्ताकालय में उपलब्ध रहती है।

(ii) समय–समय पर अखबारों/समाचार पत्रों द्वारा विभाग के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निविदा–सूचनायें भी विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायी जाती है।

(iii) विभाग के सभी कार्यालयों में सूचना–पटल स्थापित हैं, जिनमें विभाग की महत्वपूर्ण सूचनायें समय–समय पर जनता के सूचनार्थ लगायी जाती है।

(iv) किसी भी नागरिक द्वारा उनसे सम्बन्धित किसी सूचना हेतु सम्बन्धित कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकता है।

(v) जनता के किसी नागरिक द्वारा वांछित दस्तावेज, जो किसी कार्यालय में उपलब्ध हों, की प्रति निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यूनतम शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है।

(vi) उपलब्ध विभागीय मैनुअल की प्रति न्यूनतम शुल्क का भुगतान करने पर निर्धारित–प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है।

(vii) विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना उत्तराखण्ड एन0आई0सी0 की वैब–साइट gov.ua.nic.in/pwd पर उपलब्ध है।